	वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
16.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4 के पत्रांक– 16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा **उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023** प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीयित पालिका सेवा के **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत** एवं **कर व राजस्व निरीक्षक** के **कुल 85 रिक्त पदों** पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण :– (i) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (शहरी विकास विभाग)

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा के **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत** की रिक्तियों की **कुल संख्या 63** है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत है :–

<table>
<tr><th rowspan="2">श्रेणी</th><th rowspan="2">रिक्त पद</th><th colspan="5">क्षैतिज श्रेणियों का विवरण</th></tr>
<tr><th>उत्तराखण्ड महिला</th><th>स्व0सं0से0 आश्रित</th><th>पूर्व सैनिक</th><th>दिव्यांग</th><th>उत्तराखण्ड अनाथ बच्चे</th></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति</td><td>10</td><td>03</td><td rowspan="5">01</td><td rowspan="5">03</td><td rowspan="5">02
(PB, PD)</td><td>–</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जनजाति</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td><td>08</td><td>02</td><td>–</td></tr>
<tr><td>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>06</td><td>01</td><td>–</td></tr>
<tr><td>अनारक्षित</td><td>39</td><td>11</td><td>01</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>63</td><td>17</td><td>01</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td></tr>
</table>

(ii) कर व राजस्व निरीक्षक (शहरी विकास विभाग)

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के **कर एवं राजस्व निरीक्षक** पद की रिक्तियों की **कुल संख्या 22** है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार / उपश्रेणीवार निम्नवत है:–

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज श्रेणियों का विवरण				
		उत्तराखण्ड महिला	स्व0सं0से0 आश्रित	पूर्व सैनिक	दिव्यांग	उत्तराखण्ड अनाथ बच्चे
अनुसूचित जाति	03	–	00	01	01 (OA)	–
अनुसूचित जनजाति	01	–				–
अन्य पिछड़ा वर्ग	03	–				–
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	–				–
अनारक्षित	13	03				–
योग	22	03	00	01	01	00

नोटः– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तथा कर एवं राजस्व निरीक्षक पद हेतु **शासनादेश संख्या–48 / XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0 / 2017, दिनांक 05.06.2023 के** अनुसार दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां **OA, OL, LV/PB, HH/PD, D, LC, DW, AAV एवं AV** निर्धारित है। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते है। उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. **वेतनमान :–** रू0 5200–20200, ग्रेड वेतन रू0 2800 (लेवल–05)।
3. **पद का स्वरूप :–** समूह 'ग' अराजपत्रित / अंशदायी पेंशनयुक्त / स्थायी।
4. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :–**

"भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।"

" Bachelor Degree from a University established by law in India."

(ii) अधिमानी अर्हता :– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

5. **आयु :–** न्यूनतम आयु सीमा **21 वर्ष** एवं अधिकतम आयु सीमा **42 वर्ष** निर्धारित है। आयु गणना की **विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई 2023** है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2002 के पश्चात का तथा 02 जुलाई, 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ii) अधिकतम् आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों / उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड **अनुसूचित**